

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बस्सी

क्रमांक: SPL/01 (CAMP JAIPUR)

दिनांक: 20.10.2022

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, जयपुर

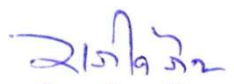
विषय:- **“Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan)” Proposal No. FP/RJ/ROAD/151862/2022 के सम्बन्ध में।**

संदर्भ:- पत्र क्रमांक: एफ () FCA/उवसवजी/2022-23/4860 दिनांक 29.09.2022

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव **Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan)” Proposal No. FP/RJ/ROAD/151862/2022** में परीक्षण करने के उपरान्त जो आक्षेप लगाये गये हैं जिनकी पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है:-

क्र. सं.	आक्षेप	जवाब
1.	प्रकरण में प्रस्तुत Form A में Part 1 के point no B के B-1, list of proposals submitted in Past information में सूचना में आप द्वारा अवगत कराया है कि यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्व में कोई वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बस्सी द्वारा जमवारामगढ अभयारण्य क्षेत्र में सड़क निर्माण से संबंधित कार्य पूर्व में भी करवाये गये हैं। अतः पुनः अवलोकन कर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।	FCA से सम्बन्धित पूर्व में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है और पूर्व में वन्यजीव स्वीकृति के ही प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।
2.	Point no D के (a), में "existing road", दर्शाया गया है, जिसके विवरण के संबंध में आप द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है कि "सम्पूर्ण सड़क का वनभूमि डायवर्जन लिया जा रहा है। अतः किसी प्रकार का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है", इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें की यदि सड़क पूर्व में निर्मित थी किन्तु वन भूमि प्रत्यावर्तन नहीं हुआ था तो उक्त सड़क निर्माण किन नियमों के तहत तथा किस वर्ष वन भूमि पर कराया गया है।	"existing road" इसलिए दर्शाया गया है कि पुराने समय में प्रचलित मार्ग पर ही 1920 से पूर्व डामरीकरण हो गया था। अतः "existing road" ही माना जावे और अब नये सिरे से सम्पूर्ण सड़क का वनभूमि डायवर्जन लिया जा रहा है।
3.	Point I में 1 के (a) and (b) wildlife clearance application के संबंध में प्रस्तावित रोड जमवारामगढ अभयारण्य क्षेत्र एवं ईको सेन्सिटिव जोन में दर्शायी गई है। प्रकरण में वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक क्षेत्रफल (3.5568 है०) व सेगमेन्ट 4 में वन भूमि में आने वाली सड़क की लम्बाई 51.00मी के स्थान पर 118मी संशोधित कर wildlife clearance के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में अवगत कराया है। जबकि परिवेश पोर्टल पर इस कार्यालय की आई.डी पर उक्त प्रकरण दर्शा नहीं रहा है। अतः स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त प्रकरण में वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक क्षेत्रफल 3.5568 हैक्ट. एरिया का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है।
4.	Point L में 4(ब), 5 and 6, KML and Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS of total station, प्रकरण में वन भूमि प्रत्यावर्तन के बदले जो उपलब्ध कराई जा रही गैर वन भूमि की प्रस्तुत KML में गैर वन भूमि का क्षेत्र वनभूमि पर Overlapping हो रहा है। अतः उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वन भूमि का मौका निरीक्षण कर संशोधित KML प्रस्तुत करें।	संशोधित KML प्रस्तुत कर दी गई है।


अधिशाषी अभियंता
(सजीव जैन)
सा. अधिशाषी अभियंता बस्सी
सा.नि.वि. खण्ड बस्सी, जयपुर